हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर
अपील नं. 100/2022 जिरग 225 आर.टी.एक्ट.
बअनवान अजाराम वगै. बनाम गोमाराम वगै.

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पीठासीन अधिकारी:— श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस.

उपस्थित:— श्री अर्जुनराम बोसिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
श्री बांकाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय

दिनांक 02.11.2022

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 83/2021 बअनवान गोमाराम बनाम अजाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 29.04.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन में दिनांक 29.04.2022 को आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं एवं पक्षकारान की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता उभयपक्ष एवं उपस्थित पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से आपसी सहमती से राजीनामा कर उभयपक्ष के हस्ताक्षरयुक्त प्रस्तावित रास्ता परिशिष्ट "अ" पेश कर उसके अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने पर सहमति जाहिर की। राजीनामा के तहत हम अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण को सुलभ रास्ते से जोड़ने के लिये प्रत्यर्थीगण के खसरा संख्या 610/462 को जरिये परिशिष्ट "अ" बरंग पीला से दर्शित स्थान खसरा संख्या 660/541 व स्कूल की पूर्व दिशा कॉर्नर चारदीवारी की सीमा से 12 फीट चौड़ा व 54 फीट लम्बा है, को रास्ते बाबत राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जावे। उपरोक्त राजीनामा प्रस्ताव को उपस्थित अपीलांटस एवं अपीलांट अधिवक्ता तथा रेस्पोडेंटस एवं रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता ने स्वीकार किया। संलग्न परिशिष्ट 'अ' में बरंग पीला के अनुसार रास्ता देना स्वीकार है। उपरोक्तानुसार आदेश पारित करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की उपस्थिति एवं समझाईश के फलस्वरूप लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पेश रास्ते के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। मौजा रामपुरा, पटवार कोटड़ा तहसील शिव के खसरा संख्या 610/462 को जरिये परिशिष्ट "अ" बरंग पीला से दर्शित स्थान खसरा संख्या 660/541 व स्कूल की पूर्व दिशा कॉर्नर चारदीवारी की सीमा से 12 फीट चौड़ा व 54 फीट लम्बा है, उभयपक्ष की सहमति के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट जरिये राजीनामा स्वीकार कर अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आदेश दिनांक 29.04.2022 में उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाता है। परिशिष्ट "अ" इस आदेश का अभिन्न अंग होगा तथा इसी अनुरूप राजस्थान सरकार के पक्ष में गैर मुमकिन रास्ते का अमल दरामदएवं तरमीम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है कि आदेश की पालना कर न्यायालय को पालना रिपोर्ट पेश करे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 02.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

जिला : बाड़मेर | तहसील : शिव | दिनांक : 23/05/2022 04:10:37 PM
पटवारी हल्का : कोटड़ा | ग्राम : रामपुरा | भू. अ. नि. क्षेत्र : नीम्बला

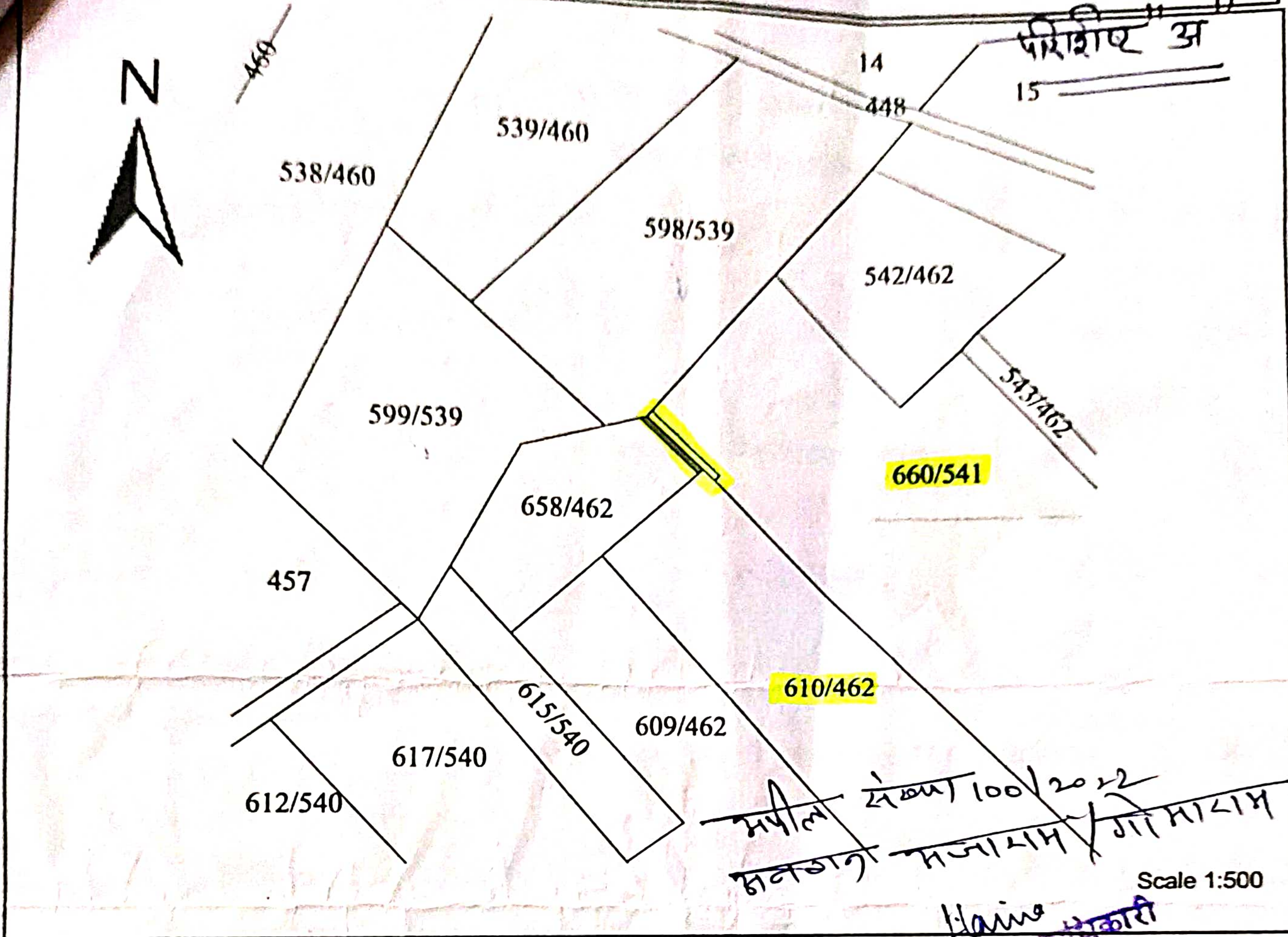

खसरा संख्या :657/462 क्षेत्रफल : 0.0080 Hectare खाता संख्या : 1पुराना खाता संख्या :52
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]:
ULPIN no : null

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील संख्या 100/2022
मनजाराम / गोमाराम वगैरह

परिशिष्ट "अ"